

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या - 93 / 2021

उनवान

- 1- गोपाल पुत्र सोहन बावरी निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा
- 2- मु० किशनी पत्नी सोहन बावरी निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा

- प्रार्थीगण

बनाम

- 1-2-3 श्री तजू कान्हा, मदन पुत्र श्रीराम बावरी निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा
- 4- श्री मोहन पिता उरजण बावरी निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा
- 5- छोगा पुत्र चजुर्मुज बावरी निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा
- 6- मैनेजर बडौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा ढीकोला तहसील शाहपुरा

- विपक्षीगण

उपस्थिति - श्री अनिल कुमार शर्मा  
अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

-: निर्णय :-

दिनांक- 14 / 07 / 2021

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - प्रार्थीगण के ग्राम **ढीकोला** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 5047 रकबा 0.43 है०, 5140 रकबा 0.35 है०** कुल कित्ता **2 रकबा 0.78 है०** हैक्टेयर के प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर **विपक्षीगण** को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण वावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम ढीकोला संवत् 2076 से 2079** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् के **प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार** दर्ज होकर अपनी आराजीयात् की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः **प्रार्थीगण** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **ढीकोला** में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त संयुक्त खातेदारी की आराजीयात् **कित्ता 2 रकबा 0.78 है०** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर **फीस 500/- रुपये** कायम किये जाते हैं, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **14 / 07 / 2021** को सरे ईजलास सुनाया गया।



(शिल्पा सिंह IAS)

उपखण्ड अधिकारी

एवं सहायक कलेक्टर  
**उपखण्ड अधिकारी**  
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी

एवं सहायक कलेक्टर

**उपखण्ड अधिकारी**  
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.